

क्रमांक: प.4(3)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 25 JAN 2021

---: आज्ञा :---

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 02.08.2018, 04.01.2019 एवं 25.03.2019 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उन्हें आवंटित आवास के स्थान पर पूर्व निर्धारित शर्तों पर निम्नानुसार आवास का परिवर्तित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	नवीन वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री मुकेश कुमार मिठारवाल, लेखाधिकारी, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर-प्रथम	5400/- L-14	06/TH 2019	F-2/2 NTH के स्थान पर F-2/4 NTH का परिवर्तन
2.	श्री राजेश घुसिंगा, सहायक अभियन्ता (भोने), नगर वृत्त उत्तर, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर	5400/- L-14	35/TH 2018	09 OTH के स्थान पर F-3/1 NTH का परिवर्तन
3	कुसुम मीणा (RAC'S), सहायक निदेशक, निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर	5400/- L-14	51/TH 2018	G-4/2 NTH के स्थान पर F-2/1 NTH का परिवर्तन

राज्यपाल की आज्ञा से

ED

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी।
2. उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-कृपया आदेश को वेबसाईट पर डाले।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

--: आज्ञा ::--

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर आवंटन इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या एफ.7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.2006 एवं इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है:-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावे।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1.	डॉ० राघव कुमार, सहायक आचार्य (रेडियोडायग्नोसिस), सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	6600/- L-16	14/TH 2020	G-1/4 NTH
2.	पदमा देवी, लेखाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	5400/- L-14	12/TH 2020	F-3/3 NTH
3.	श्री रजनीकांत मीना, लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला एवं बाल विकास (आई.सी.डी.एस.) विभाग, जयपुर	5400/- L-14	13/TH 2020	G-4/1 OTH

राज्यपाल की आज्ञा से

ED

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करे।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव